न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2011/00141 (45/2011)

ख्याली पत्र श्री रावता जाति नायक निवासी हरदासवाली तह0 रावतसर जिला हनुमानगढ

——अपीलांट्

बनाम

पतराम पुत्र आदूराम जाति जाट नि0 हरदासवाली तह0 रावतसर —रेस्पोडेन्ट्

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल आर एक्ट

विरूद्ध आवंटन एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर दिनांक 10.03.2011 प्रकरण संख्या 56/2009

श्री देवदत भिडासरा, अभिभाषक अपीलांट

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णयः— दिनांकः—28.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत शर्त सं0 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया कि उसकी च 3 जे बी डी में .759 है0 भूमि है तथा इसी चक में अप्रार्थी की .481 हैक्टयर भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है। अप्रार्थी की चक 3 जे बी डी प0नं0 234/17 (3) किला नं0 16 व 25 की पश्चिमी दिशा में .013—.013 हैक्टयर रास्ता सुविधाजनक है व उक्त रास्ता स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी/रेस्पोडैन्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता नही चल रहा, प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया रास्ता सुविधाजनक नही है। प्रार्थी अन्य पडौसीयों की भूमि में से आ जा रहा है तथा वही रास्ता सुविधाजनक है। अतः प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

2. उपखण्डाधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 10.03.2011 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करनें का आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि अथवा भूमि की कीमत देने को तैयार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे व प्रश्नगत् रास्ता स्वीकार फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्टस ने कथन किये कि रेस्पोडैन्ट सीमांत कृषक है उसके पास केवल मात्र यही भूमि है जिसमें पहले से ही रास्ता स्वीकृत है व एक और रास्ता स्वीकृत कर देने से उसकी भूमि ओर कम हो जायेगी, अपीलांट को अपनी भूमि में आने जाने हेतू अन्य रास्ता विद्यमान है इस रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने रास्ता स्वीकृती का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट को उसकी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है वह रेस्पोडैन्ट की भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जबकि रेस्पोडैन्ट ने कथन किये है कि अपीलांट अन्य पडौसीयों के खेतों में से आ जा रहा है, रेस्पोडैन्ट के इन कथनों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। इसके अलावा अपीलांट रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा कीमत देने को तैयार है, अगर रास्ता में आई भूमि के बदले अपीलांट भूमि अथवा भूमि की कीमत अदा कर देता है तो रेस्पोडैन्ट को किसी प्रकार की क्षति होने के कोई सम्भावना नही है। अधिनस्थ न्यायालय का आधार कतई मानने योग्य नही है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है, रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2011 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को वापिस लौटाई जाती है कि वे सक्षम अधिकारी तहसीलदार, रावतसर से प्रार्थी/अपीलांट की भूमि के लिए कोई उपयुक्त रास्ता के सम्बन्ध में नक्शा सहित पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त करें व रिपोर्ट प्राप्त होने पर रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि अथवा भूमि की कीमत अदा करवाकर रास्ता स्वीकृति हेतू गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

28/2/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ